प्ररूप च FORM F वेनियम 20 देखे

(विनियम 20 देखें) (see regulation 20)

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

(निक्षेपागार और सहभागी) विनियम, 1996
(DEPOSITORIES AND PARTICIPANTS) REGULATIONS, 1996

□□ 3 2 2 6 सहभागी के रूप में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र

CERTIFICATE OF REGISTRATION AS PARTICIPANT

- I. बोर्ड, भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) के अधीन बनाये गये विनियमों और निक्षेपागार अधिनियम,1996 (1996 का 22) के साथ पठित उस अधिनियम की धारा 12 की उप-धारा (1क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए
- I. In exercise of the powers conferred by sub-section (1A) of section 12 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), read with the regulations made thereunder and with the Depositories Act, 1996 (22 of 1996), the Board hereby grants a certificate of registration to

REGISTRATION

BCB BROKERAGE PRIVATE LIMITED 1207 A, P.J. TOWERS, DALAL STREET, FORT MUMBAI - 400001

को अधिनियम, निक्षेपागार अधिनियम और उनके अधीन बनाये गये विनियमों में विनिर्दिष्ट शर्तों के अध्यधीन सहभागी के रूप में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र एतद्दारा प्रदान

as a participant subject to the conditions specified in the Act, the Depositories Act and the regulations made thereunder.

II. सहभागी की रजिस्टीकरण संख्या है :

II. Registration Number for participant is IN-DP-438-2019

REGISTRATION

III. जब तक नवीकृत न किया जाए, रिजस्ट्रोकरण प्रमाणपत्र

स

तक विधिमान्य है।

III. Unless renewed, the Certificate of Registration is valid from

12/03/1999

This Certificate of registration shall be valid for permanent, unless suspended or cancelled by the Board

आदेश द्वारा

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

के लिए और उसकी ओर से By order For and on behalf of

Securities and Exchange Board of India

स्थान Place: मुंबई/Mumbai

October 15, 2019

ANUPMA CHADHA प्राधिकत हस्ताक्षरकर्ता Authorised Signatory